कार्यवाही विवरण

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम– गिधाली, तहसील– डौंडी, जिला– बालोद (छ.ग.) में स्थित उद्योग कुल क्षेत्रफल– 27.53 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर क्रशिंग, स्क्रीनिंग प्लांट क्षमता–1.2 मिलियन टन/वर्ष से 1.5 मिलियन टन/वर्ष एवं बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता–1.5 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.01.2021 को प्रातः 11:00 बजे स्थल– ग्राम गिधाली के ग्राम पंचायत भवन, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत **मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड, ग्राम– गिधाली, तहसील– डौंडी, जिला– बालोद (छ.ग.) में स्थित उद्योग कुल क्षेत्रफल–28.45 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर क्रशिंग, स्क्रीनिंग प्लांट क्षमता–1.2 मिलियन टन/वर्ष से 1.5 मिलियन टन/वर्ष एवं बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता–1.5 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति** के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 12.10.2020 की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों बिजनेस स्टैण्डर्ड नई दिल्ली में दिनांक 09.09.2020 एवं पत्रिका, रायपुर दिनांक 09.09.2020 में कराई गई थी। उद्योग द्वारा मंडल मुख्यालय, रायपुर किये गए आवेदन के माध्यम से सूचित किया गया कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की एक्सपर्ट एप्राईजर कमेटी (EAC) की दिनांक 23.09.2020 को आयोजित 23 वी. बैठक में उद्योग को बेस लाईन डाटा जनरेशन हेतु दिनांक 01.10.2020 से 30.10.2020 तक आगामी एक माह के अध्ययन हेतु निर्देशित किया गया। अतः वर्तमान में प्रस्तुत ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के आधार पर लोक सुनवाई नहीं कराई जा सकती है। उद्योग द्वारा उक्त अध्ययन को ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में शामिल करते हुए लोक सुनवाई पुनः आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त के आधार पर लोक सुनवाई दिनांक 12.10.2020 की स्थगित होने की सूचना बिजनेस स्टैण्डर्ड नई दिल्ली में दिनांक 08.10.2020 एवं पत्रिका, रायपुर दिनांक 08.10.2020 में प्रकाशित कराई गई थी।

तत्पश्चात् **मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम– गिधाली, तहसील– डौंडी, जिला– बालोद (छ.ग.) में स्थित उद्योग कुल क्षेत्रफल– 27.53 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर क्रशिंग, स्क्रीनिंग प्लांट क्षमता–1.2 मिलियन टन/वर्ष से 1.5 मिलियन टन/वर्ष एवं बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता– 1.5 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति** के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों बिजनेस स्टैण्डर्ड नई दिल्ली में दिनांक 30.11.2020 एवं पत्रिका, रायपुर दिनांक 29.11.2020 में कराई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 02.01.2021 को समय प्रातः 11:00 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बालोद की अध्यक्षता में स्थल–ग्राम गिधाली के ग्राम पंचायत भवन, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए.

रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विंग, न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–बालोद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–बालोद, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–बालोद, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गिधाली, जिला–बालोद, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सुवरबोड, जिला–बालोद, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चिपरा, जिला–बालोद, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गुजरा, जिला–बालोद, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत झरनटोला, जिला–बालोद, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भैंसबोड, जिला–बालोद,सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत दानीटोला, जिला–बालोद, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गैंजी, जिला–बालोद, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सहगांव, जिला–बालोद, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत धुरवाटोला जिला–बालोद, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कुसुमकसा, जिला–बालोद, मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। पूर्व में जो लोक सुनवाई की सूचना का प्रकाशन किये जाने के पश्चात् 01 आपत्ति समस्त ग्रामवासी ग्राम गिधाली, जिला बालोद से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त उद्योग की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 02.01.2021 को समय प्रातः 11:00 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बालोद की अध्यक्षता में स्थल–ग्राम गिधाली के ग्राम पंचायत भवन, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बालोद द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई के क्षेत्रीय अधिकारी(प्र.) द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री राहुल भगत, श्री पराग कुशनाहरे द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बालोद द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी, जिला बालोद की अनुमति से लोक सुनवाई स्थल से संलग्न रजिस्ट्रेशन काउण्टर (जहाँ उपस्थित जन समुदाय का पंजीयन हो रहा था एवं लोगों को कमानुसार टोकन दिये जा रहे थे) से

लोगों को बुलवाना प्रारंभ किया गया। लोक सुनवाई में उपस्थित हुए लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर किये जा रहे थे। इस संपूर्ण प्रकिया की विडियोग्राफी की गई।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव विचार, टीका–टीप्पणिया दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री दिलीप कुमार कोटवार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं कर्मचारी होते हुए बोलने का अनुमति चाहता हूं, कंपनी बन्द हो चुकी है उसे पुनः चालू किया जाये, लेकिन उसमें कुछ शर्तें है। वो शर्तें प्राईवेट नहीं है जनहित की बात है। कंपपनी की ओर से हमारे गांव की जमीन को अवैध कब्जा किया गया है, उसकी निदान होना चाहिये। दूसरी बात कंपनी के मुर्गीफार्म से लगा हुआ पुराना गेट है, कंपनी के लालपानी से मेरा गांव प्रभावित हो रहा है। कंपनी द्वारा लाल पानी निकासी अन्य जगह बनाया जाये। पानी की निकासी को बन्द किया जाये। तीसरी बात कंपनी में जितने मजदूर लगेंगे जैसे–कंपनी को 10 मजदूर चाहिये उसमें से ग्राम गिधाली से 5 मजदूर लेना चाहिये। जय हिन्द, जय भारत जय छत्तीसगढ़।

2. **श्रीमती मोतीन बाई, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं जन सुनवाई से सहमत हूं, मेरे बाल बच्चे को रोजगार में प्राथमिकता मिलना चाहिए।

3. **श्रीमती किरण बाई साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं, मुझे रोजगार चाहिए।

4. **श्रीमती अश्वनी बाई भूआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं, मुझे रोजगार चाहिए।

5. **श्रीमती गीतेश्वरी साहू, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

6. **श्रीमती चितरेखा बाई साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

7. **श्री दुर्गा प्रसाद साहू , ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूं। आजकल रोजी रोटी की समस्या रहती है। छोटे उद्योग से रोजगार मुहैया कराया जा सकता है।

8. **श्री कमलेश्वर सिंह, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**

➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।

9. **श्री विक्रम सिंह भूआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूं। प्लाण्ट को चालू किया जाये।

10. **श्री बिरसिंग ताण्डीया, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं चाहता हूं कि कंपनी चालू हो।

11. **श्री संतोष कुमार साहू, गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं लोक सुनवाई का पूर्ण होशो हवाश से समर्थन करता हूं।

12. **श्री धर्मेन्द्र प्रसाद मिश्रा, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ विगत एक वर्ष से प्लाण्ट बन्द है, बाकी लोग जो काम करते है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मै चाहता हूँ कि प्लाण्ट जल्द से जल्द चालू हो, जिससे रोजगार मिले और अन्य लोगों को भी रोजगार मिले। मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।

13. **श्री गोकुल प्रसाद भूआर्य, ग्राम–झरनटोला सरपंच, जिला–बालोद।**

➢ गोदावरी प्लाण्ट के मैनेजर से निवेदन है कि हमारे गांव मरकामटोला में इतना दिक्कत हो रहा है कि डस्ट से नाला में जमावट आ रहा है। मै कंपनी से चाहता हूँ कि पहले तालाब बनाये, जिससे डस्ट बाहर न जाये। मै चाहता हूँ कि हमारे 12 सरपंच की माँ है कि हर गांव से लेना है। हमारे हिसाब से कंपनी चालू करे, अन्यथा कंपनी बन्द करा देंगे।

14. **श्री केशुराम साहू, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं कई वर्षो से प्लाण्ट में काम करता था, प्लाण्ट अभी बन्द है, प्लाण्ट चालू हो मैं इसका समर्थन करता हूं।

15. **श्री बाबूलाल खरे, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ आज यह कंपनी बन्द है, हमारे गांव में आज कोई उद्योग आ रहा है तो उसका मैं समर्थन करता हूं, हम आदिवासी शेडयूल टाईप एरिया से हैं, यहां शिक्षा व स्वास्थ्य का विकास नही हो पा रहा है, यहां अगर उद्योग लग रहा है चाहे वो केन्द्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार को तो वह हमें रोजगार देने आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लोक सुनवाई का मैं समर्थन करता हूं, बेटी पढ़ाओं बेटी बढ़ाओं, बेटी रानी लक्ष्मी बाई जरूर बनेगा। धन्यवाद,

16 **श्रीमती संतोषी बाई मिश्रा, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।

17. **श्री बलियार राम साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ प्लाण्ट चालू हो, मैं इसका समर्थन करता हूं।

18. **श्री ललित कुमार गिधाली, ग्राम–जिला–बालोद।**

➢ मैं लोक सुनवाई का समर्थन करता हूं। जो प्लाण्ट चल रहा है उसे चलने दो।

19. **श्री शफाक खान, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ मैं लोक सुनवाई का समर्थन करता हूं। कंपनी खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा।

20. **श्री किशोर राम साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ मैं लोक अदालत का समर्थन करता हूं।

21. **श्री मधुसूदन साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ मैं प्लाण्ट चालू होने का समर्थन करता हूं।

22. **श्री रामस्वरूप देवांगन, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ हम सब बेरोजगार हैं, प्लाण्ट चालू हो जाये।

23. **श्री जयकुमार चुरेन्द्र, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ मैं लोक सुनवाई का समर्थन करता हूं।

24. **श्रीमती अहिल्या साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

25. **श्री राधे लाल, ग्राम–घुरवाटोला, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए और आसपास के लोगों को काम मिलना चाहिए। मैं प्लाण्ट लगने का समर्थन करता हूं।

26. **श्रीमती चितेन्द्री ठाकुर, सरपंच, ग्राम–भैंसबोड़, जिला–बालोद।**
➢ गिधाली प्लाण्ट चालू होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

27. **श्री किरण बाई देवांगन, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करती हूं।

28. **श्रीमती राजेश्वरी देवांगन, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट लगने का समर्थन करती हूं।

29. **श्रीमती बेला बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट लगने का समर्थन करती हूं।

30. **श्रीमती जगोतिन बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी में काम सबको मिलना चाहिए।

31. **श्रीमती सकुन बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए, मै जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

32. **श्रीमती लता बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ सबको काम मिलना चाहिए, प्लाण्ट लगने का मै समर्थन करती हूं।

33. **श्रीमती छओती बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ सबको काम मिलना चाहिए, मैं प्लाण्ट लगने का समर्थन करती हूं।

34. **श्रीमती हेम बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ काम चालू होना चाहिए, मैं प्लाण्ट लगने का समर्थन करती हूं।

35. **श्रीमती भानबाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ सबको काम मिलना चाहिए।

36. **श्रीमती चंदर बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी में काम मिलना चाहिए।

37. **श्रीमती आशाबाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ सबको काम मिलना चाहिए।

38. **श्रीमती नैनी बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ सबको काम मिलना चाहिए।

39. **श्रीमती भुनेश्वरी साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए।

40. **श्रीमती राजिम बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ काम मिलना चाहिए, कंपनी खुलने का मैं समर्थन करती हूं।

41. **श्रीमती तिलोका बाई भूआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ हमारे गांव में खाली घूम रहे बेरोजगार युवकों को काम मिलना चाहिए।

42. **श्रीमती निमेश्वरी बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ सबको काम मिलना चाहिए।

43. **श्रीमती मिथलेबाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी खुलने से गांव के घर पीछे एक–एक सदस्य को काम मिलना चाहिए, मैं इसका समर्थन करती हूं।

44. **श्रीमती चेतना बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ रोजगार मिलना चाहिए, घर के एक सदस्य को कंपनी में काम मिलना चाहिए, मैं इसका समर्थन करती हूं।

45. **श्रीमती सुनीता बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**

➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए, बेरोजगार भाईयों को इसमें काम मिलना चाहिए।

46. **श्रीमती सरस्वती बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**

➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए, गांव के हर घर से एक–एक सदस्य को कंपनी में काम मिलना चाहिए।

47. **श्रीमती चंद्रकला खरे, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**

➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए।

48. **श्रीमती कामिन बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं सहमत हूं।

49. **श्रीमती गिरजा बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**

➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए।

50. **श्रीमती रेखा मिश्रा, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ सभी बेरोजगारों को काम मिले, मैं यह लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।

51. **श्रीमती ईश्वरी बाई ताण्डीया, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ लोक सुनवाई का मैं समर्थन करती हूं।

52. **श्रीमती फाल्गुनी साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।

53. **श्रीमती हेमलता साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं जन सुनवाई से सहमत हूं।

54. **श्रीमती बिसाखा बाई साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।

55. **श्रीमती सत्या ध्रुर्वे, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।

56. **श्रीमती बुदा बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी में सबको काम मिलना चाहिए।

57. **श्री फगन कोसमा, ग्राम–सुअरबोड, जिला–बालोद।**

➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए। धन्यवाद.......

58. **श्री लेखराम साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- जो प्लाण्ट चल रहा है वह चलना चाहिए।

59. **श्री लखन लाल भूआर्य, ग्राम–गिधाली, रिटायर्ड हेड मास्टर, जिला–बालोद।**
- मैं चाहता हूं कि यह प्लाण्ट खुले, बेरोजगारी दूर हो, मैं प्लाण्ट खुलने का समर्थन करता हूं।

60. **श्रीमती दुखती बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- प्लाण्ट खुलना चाहिए।

61. **श्रीमती केशरी बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- प्लाण्ट खुलना चाहिए, मैं प्लाण्ट खुलने का समर्थन करती हूं।

62. **श्रीमती हेम पुष्पा साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मुझ बेरोजगार महिला को रोजगार मिले, मैं प्लाण्ट लगने का समर्थन करती हूं।

63. **श्रीमती निर्मला बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

64. **श्रीमती कुमारी बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- सबको काम मिलना चाहिए, गांव के ही आदमी को काम मिले, बाहर के आदमी को काम नहीं मिलना चाहिए।

65. **श्रीमती बिमला बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- सबको काम मिलना चाहिए।

66. **श्रीमती जामबाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मेरा भर्री बंजर हो गया है, मैं प्लाण्ट बन्द करना चाहती हूं।

67. **श्रीमती बसंती बाई, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
- कंपनी नहीं खुलना चाहिए।

68. **श्री कोमल सिंह, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
- हमारे गांव के बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए।

69. **श्री हरीश कुमार निर्मलकर, ग्राम– गैंजी, जिला–बालोद।**
- हमारे आसपास के गांव में बहुत से लोग बेरोजगार है उन्हें कंपनी खुलने से रोजगार मिलेगा।

70. **श्री रामचंद्र ठाकुर, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
- मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।

71. **श्री धनेशराम यादव, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।

72. **श्री रविन्द्र कुमार, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूं। कंपनी खुलने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी।

73. **श्री ओम प्रकाश भुआर्य, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।

74. **श्री रामकुमार खरे, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।

75. **श्री महेन्द्र कुमार पटेल, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।

76. **श्री चंद्रशेखर साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूं। प्लाण्ट चालू हो जिससे लोगों को रोजगार मिले।

77. **श्री अनुपराम भूआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मेरा खेत बंजर हो गया है, कंपनी चालू होने से मेरा खेत सूख जायेगा, बोर लगा है वह सूख जायेगा, मुझे कंपनी खुलने से नुकसान होगा, मैं इसका विरोध करता हूं, मेरा कौन सहयोग करेगा, हमें मुआवजा चाहिए, कंपनी इस नुकसानी को पूरा करे, पहले मैं कंपनी के निर्माण में सहयोग किया हूं, कंपनी फिर भी मुझे कोई सहयोग नही दिया।

78. **श्रीमती चंद्रिका बाई , ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- कंपनी में रोजगार मिले, मैं इसका समर्थन करती हूं।

79. **श्रीमती चम्पी बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं प्लाण्ट लगने का समर्थन करती हूं।

80. **श्रीमती ललिता बाई, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
- मेरा खेत बंजर हो गया है, प्लाण्ट नहीं खुलना चाहिए।

81. **श्रीमती राजिम बाई ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

82. **श्री राजेन्द्र कुमार, ग्राम–झरनटोला/आश्रित ग्राम मरकामटोला, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी बन्द होना चाहिए, मैं अकेला समर्थन नही करता हूं, कंपनी का गंदा पानी हमारे गांव में जाता है, कंपनी खुलने से केवल बकलीटोला, गिधाली के लोगों को फायदा है, गांव पीछे एक–एक सदस्य को कंपनी में काम मिलना चाहिए, नहीं तो मैं इसका विरोध करता हूं।

83. **श्री गौतम कोर्राम, सरपंच, ग्राम–सुवरबोड, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी चालू करना, लोगों को रोजगार देना महत्वपूर्ण बात है, पिछले 10–12 वर्ष से यह कंपनी चालू है, गांव में इनके द्वारा विकास कार्य यहां नहीं किया गया है, प्लाण्ट स्थापित होने पर योग्यता के अनुसार गांव के बेरोजगारों को रोजगार मिले, प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिले, प्रभावित वर्ग को विशेष सहायता दी जाये, इनके द्वारा मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है, मैं लिखित में आवेदन/मांगपत्र सौंप रहा हूं, कम से कम 10 बेरोजगार युवकों को रोजगार दी जाये, आवागमन हेतु पहुंच मार्ग मुहैया कराया जाये, पौधा रोपण कराया जाये, बैठक में प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सम्मिलित किया जाये, बाहरी व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था, वर्तमान मे यह व्यवस्था नही होना चाहिए।

84. **श्रीमती धनमत बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी नहीं खुलना चाहिए, मेरे खेत में लाल पानी जा रहा है।

85. **श्रीमती शांति बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी नहीं खुलना चाहिए।

86. **श्रीमती मीता बाई ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी नहीं खुलना चाहिए।

87. **श्रीमती राधिका बाई साहू, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं जनदर्शन का समर्थन करती हूं।

88. **श्रीमती अनिता बाई पटेल, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी बन्द होना चाहिए।

89. **श्रीमती सोमिन नैर्नी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ प्लाण्ट चलना चाहिए।

90. **श्रीमती ममता बाई भूआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं। कंपनी में लोगों को काम मिलना चाहिए।

91. **श्रीमती प्रर्मिला भूआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

92. **श्रीमती लक्षवंतीन बाई पटेल, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

93. **श्रीमती प्रेरणा भूआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

94. **श्रीमती प्रेमिन बाई भूआर्य, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

95. **श्रीमती जमुना बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं। कंपनी में बेरोजगारों को रोजेगार दिया जाये।

96. **श्रीमती झनकी बाई, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

97. **श्रीमती कोमिन बाई , ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट बन्द होना चाहिए।

98. **श्रीमती गोमती बाई, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ बेरोजगार को काम मिलना चाहिए, मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

99. **श्रीमती जमुना बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए, काम मिलना चाहिए।

100. **श्रीमती गीता बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए।

101. **श्रीमती गीता बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी खुलना चाहिए, काम मिलना चाहिए।

102. **श्रीमती सीता बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी में बाहर के आदमी को काम नहीं मिलना चाहिए।

103. **श्रीमती चमेली बाई मानिकपुरी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

104. **श्रीमती वेदकुंवर, गिधाली, ग्राम–जिला–बालोद।**
➢ गिधाली में प्लाण्ट खुलना चाहिए।

105. **श्री रामजी साहू, गिधाली, ग्राम– जिला–बालोद।**
➢ मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं। हर आदमी को काम मिलना चाहिए।

106. **श्री नंदकुमार, बकलीटोला, ग्राम–जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।

107. **श्री जीवराखन चुरेन्द्र, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- प्लाण्ट चालू होना चाहिए और रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए।

108. **श्री डोमेन्द्र कुमार पटेल, ग्राम–गिधाली/आश्रित ग्राम बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- कंपनी का लाल पानी मुर्गी फार्म से होते हुए गांव के आमापारा तालाब में जाता है, जिससे पानी दूषित हो रहा है, लाल पानी के लिये कंपनी परिसर में तालाब बनाया जाये, सड़क पर कंपनी की गाड़ियॉ अव्यवस्थित रूप से खड़ी रहती है, दुर्घटना होने पर कंपनी में गाड़ियों को कंपनी के अंदर किया जाता है, गांव के लोगों को योग्यता अनुसार काम मिले अन्यथा कंपनी न खुले।

109. **श्री अनिल सिंह, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- मेरा जमीन गिधाली प्लाण्ट से लगा हुआ है, मैं जन सुनवाई का विरोध करता हूं।

110. **श्री सोहनलाल, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- इस जन सुनवाई में मेरी बहुत सी समस्या है, कंपनी चालू होने से मरकामटोला को हानि है, इससे हमारा गांव अधिक प्रभावित होगा, हमारी खेती इससे बंजर हो चुकी है, गांव के किसानों को क्षति हुई है, फैक्ट्री बन्द हो, हमारे गांव में बेरोजगार भाई है, अतः फैक्ट्री बन्द हो, जय हिन्द।

111. **श्रीमती चंदरबाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- यह कंपनी बन्द हो।

112. **श्री चंद्र कुमारी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।

113. **श्रीमती परदेशीन बाई साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

114. **श्रीमती जगेश्वरी बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

115. **श्रीमती केशर बाई ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

116. **श्रीमती राजेश्वरी बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- प्लाण्ट चालू होना चाहिए, मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

117. **श्रीमती सुहद्रा बाई मानिकपुरी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

118. **श्रीमती ईश्वरी बाई बलेन्द्र, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

119. **श्रीमती बहुरी बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- गांव में कंपनी लगने से हमारे गांव के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, प्लाण्ट बन्द होना चाहए।

120. **श्रीमती दामेश्वरी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

121. **श्रीमती मुलया बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- 12 वर्ष से यह कंपनी चालू है, मैं बेरोजगार हूं, मेरे बच्चों को काम मिलना चाहिए।

122. **श्रीमती पामेश्वरी पटेल, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

123. **श्रीमती सोहद्रा बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मेरे खेत में कंपनी का लाल पानी आ रहा है, जिससे मेरा 4–5 एकड़ जमीन बंजर हो गया है, इसलिये प्लाण्ट बन्द होना चाहिए।

124. **श्रीमती नेमीन बाई, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
- कंपनी को बन्द करना है, जय किसान, भारत माता की जय।

125. **श्रीमती अनिता बाई, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
- कंपनी के लाल पानी से मेरा खेत बंजर हो गया है, इसलिये कंपनी नहीं खुलना चाहिए।

126. **श्रीमती लीलावती, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मेरा खेत कंपनी से लगा हुआ है, कंपनी का लाल पानी मेरे खेत में आ रहा है जिससे मेरा खेत बंजर हो गया है, इसलिये कंपनी बन्द होना चाहिए।

127. **श्रीमती पार्वती, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मेरे खेत में कंपनी का लाल पानी जा रहा है, खेत बंजर हो गया है, जानवर मर रहे हैं, इसलिये कंपनी बन्द होना चाहिए।

128. श्रीमती कमला बाई, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी से खेत लगे है। कंपनी से हमें कोई सहयोग नही मिल रहा है, कंपनी की बड़ी गाड़ियॉ हमारे गांव के आसपास से चलती है, जिससे मवेशी मर जाते हैं, लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिये कंपनी नहीं खुलना चाहिए।

129. श्रीमती शांति बाई, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी के लाल पानी मेरे खेत में आने से मेरा खेत बंजर हो गया है, कंपनी नहीं खुलना चाहिए।

130. श्रीमती भागिन बाई, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट बन्द होना चाहिए।

131. श्रीमती निर्मला बाई, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ फैक्ट्री नहीं चलना चाहिए, हमारे गांव के मवेशी कंपनी में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, मर रहे हैं। उसकी कोई सुनवाई नहीं है।

132. श्री नेमीचंद, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

➢ मेरे पास मात्र डेढ़ एकड़ खेती है, जिससे मेरा 10 परिवार आश्रित है। किन्तु इस प्लाण्ट विस्तारीकरण करने से मेरे खेतों में लाल पानी आने से मेरा खेत बंजर हो जायेगा, अतः इस जनसुनवाई का विरोध करता हूं। भारतमाता की जय।

133. श्री मदन लाल, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

134. श्री रोशन कुमार जगनायक, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।

➢ रोजगार मिलना चाहिए।

135. श्री धरमूराम साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

136. श्री टामन लाल साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

137. श्रीमती बसंती साहू, सरपंच, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 02.01.2021 को पंचायत भवन में लोकसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। क्षमता विस्तार का कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें निम्न बिन्दु है 1. जल संरक्षण एवं जल संर्वधन। पंचायत के सभी कार्य पंचायत के सहयोग से किया जाये। सभी मजदूरों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कार्य पर रखा जाये। प्लांट से निकलने वाले दूषित पानी से जमीन खराब हो रही है। उन्हें मुआवजा दिया जाये। मूलभूत सुविधा के अंतर्गत पंचायत के गांव में प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई योजना का ध्यान रखा जाये। इनके द्वारा गांव में मेडिकल व्यवस्था किया जाये, ईलाज कराया

जाये, शिक्षा के तहत अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था की जाये, तभी हम कंपनी के क्षमता विस्तार को प्राथमिकता देंगे, धन्यवाद।

138. **श्रीमती सावित्री जगनायक, सरपंच, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट खुलने से पहले कुछ शर्तों का पालन किया जाये। परिवार नियोजन नियमों का उल्लंघन न किया जावे। अपने गांव गैंजी एवं आसपास के गांव के 10–12 गांव के लोगों को रोजगार दिया जाये, तभी हम इस कंपनी खुलने का समर्थन करते हैं।

139. **श्रीमती रूपेश्वरी, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए।

140. **श्रीमती टंकेश्वरी वैष्णव, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
➢ बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए।

141. **श्रीमती प्रभा बाई चंद्राकर, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी खुलना चाहिए।

142. **श्रीमती निषा बाई, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए।

143. **श्रीमती सुखिया बाई, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी खुलना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए।

144. **श्रीमती देसिर बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट बन्द होना चाहिए।

145. **श्रीमती नगीना बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ मोर दस एकड़ खेत है। पुरा खेत में पाईप फसे हे। चारों तरफ तार घेराए हे। दो जगह बोर है, दोनों बोर में पानी है। कंपनी खुलने से बंद हो जाएगा। कंपनी चालु नहीं है। अभी 40 ठन गरवा है, मै कहॉ से पानी दिलाऊ, पुरा गन्दा आ रहा उसकी जवाबदारी कंपनी लेले।

146. **श्रीमती रमतुला बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ मेरे खेत मे लाल पानी नहीं आना चाहिए, इसकी जवाबदारी कंपनी वालों को लेनी होगी। सबको रोजगार मिलना चाहिये।

147. **श्रीमती कांति बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी में काम मिलना चाहिए।

148. **श्रीमती यशोदा बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ रोजगार मिलना चाहिए।

149. **श्रीमती तुलसीबाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ रोजगार मिलना चाहिए।

150. **श्रीमती देवकी बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ काम मिलना चाहिए।

151. **श्रीमती पुनीता बाई, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ रोजगार मिलना चाहिए।

152. **श्री उमंग सिंह, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी बन्द होना चाहिए।

153. **श्री हरीचंद रावटे, ग्राम–चिपरा, जिला–बालोद।**
➢ .प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

154. **श्री खेदू राम ठाकुर, ग्राम–रिंगनी, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए।

155. **श्री कयांरीलाल, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ मैं गांव का कार्यवाहक पटेल हूं, मेरे गांव की जमीन का कुछ हिस्सा कंपनी से दबा हुआ है, कंपनी में बेरोजगारों को रोजगार मिले।

156. **श्री बिसन भुआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट चालू होने के साथ साथ मूलभूत सुविधा मिले तभी कंपनी खुले।

157. **श्री अमित कुमार, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

158. **श्री नरेन्द्र कुमार आर्य, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए

159. **श्री शत्रुहन, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए

160. **श्री सुग्रीव, दल्लीराजहरा, जिला–बालोद।**
➢ बेरोजगार को रोजगार मिले, प्लाण्ट चालू हो, मैं इसका समर्थन करता हूं।

161. **श्री मनोज भूआर्य ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए

162. **श्री रोहित विश्वकर्मा, ग्राम–सहगांव, जिला–बालोद।**
- समर्थन देता हूं।

163. **श्री रोहित साहू ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं प्लाण्ट लगने का समर्थन करता हूं।

164. **श्री लिखन कुमार, ग्राम–शिकारीटोला, जिला–बालोद।**
- मैं शारडा एनर्जी प्लाण्ट में काम करता हूं, मुझे मात्र 250–300 वेतन मिलता है। मेरा पीएफ नहीं कटता है, मेरा शासन द्वारा मदद करें।

165. **श्री रूसउ राम, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- ये जो कंपनी 11–12 साल से लगे हैं इस कंपनी से मेरे खेत में लाल पानी जा रहा है, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार खसरा 86 में जाकर देखें और मेरी समस्या हल करें।

166. **श्री मैहर सिंह नेताम, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मैं अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि आसपास से किसानों का पहचानती हैं। लाल पानी जा रहा है। खम्भों को इधर से उधर कर रहा है। 1975 से गोदावरी पावर के जमीन में 11000 के.वी. की लाईन जा रही है। उसको उखाडकर जमीन में डाल दिया। अधिकारी से पूछने पर हमारे द्वारा नहीं होवे, विद्युत द्वारा होवे, विद्युत वाला बोले प्लाण्ट वाला होवे, मैं दल्लीराजहरा के न्यायालय में गए हों। 5 बार जनदर्शन में गए हों। खम्भा हटवाईये एक भी लड़का स्थाई नहीं है, नौकरी नहीं है।

167. **श्रीमती सोन बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- मेरा खेत कंपनी से लगा हुआ है उसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, मैं जन सुनवाई से सहमत हूं।

168. **श्रीमती अहिमत, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।

169. **श्रीमती दुकली बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- कंपनी खुलना चाहिए।

170. **श्रीमती भान बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- कंपनी बन्द होना चाहिये।

171. **श्रीमती इलेका बाई , ग्राम–झरनटोला, जिला–बालोद।**
- कंपनी बन्द होना चाहिए।

172. **श्रीमती सतरूपा, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- कंपनी बन्द होना चाहिये।

173. **श्रीमती नगीना बाई, ग्राम–मरकामटोला. , जिला–बालोद।**

➢ कंपनी बन्द होना चाहिये।

174. **श्रीमती पुष्पा, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी बन्द होना चाहिये।

175. **श्रीमती सरिता बाई, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी बन्द होना चाहिये।

176. **श्रीमती तीजई बाई, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी बन्द होना चाहिये।

177. **श्री श्याम सुंदर साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ मेरे हिसाब से कंपनी बंद होना चाहिये, और क्यों बंद होना चाहिये मै आपको स्पष्टकरण करता हूँ। आज तक मै कही पर भी जहाँ पर ये प्लांट लगे है, वहा पर आज तक विकास नहीं हुआ है, कंपनी वाले बोलते है हम ऐसा कर देंगे हम वैसा कर देंगे और गांववाले लालच में आके हॉ में हॉ मिला देते है। गोदावरी प्लांट से गांव का विकास नहीं हुआ है। 6–7 साल पहले लड़की की दुर्घटना में मौत हुई थी, उसका सुनवाई नहीं हुई है। कंपनी आश्रित गांव बकलीटोला का विकास कर रही है जो कि गिधाली के अंदर आता है। कंपनी टोटल बंद होना चाहिये इसमें किसी का भी भलाई नहीं है। दूसरी बात गांव का इतिहास उठा के देख लिजिये दल्लीराजहरा में जो बीएसपी प्लांट लगा हुआ है, वहां पे आज तक विकास नहीं हुआ है। ऐसे ही मरोदा, सिलतरा का मूल निवासी वहाँ नहीं मिलेगा। आज गिधाली का जनसंख्या 1600 है आने वाले 20–30 तीस सालों में अगर कंपनी लगती है तो देख लेना कौन गिधाली का है और कौन बाहर का। कंपनी न लगे।

178. **श्री आनंदराम, ग्राम–बकलीटोला , जिला–बालोद।**

➢ प्लांट चालू हो बेरोजगार को काम मिले।

179. **श्री संजय कुमार ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी में किसी को काम नही मिला है। गैंजी के एक भी आदमी को काम नहीं दिया है।

180. **श्री एवन कुमार विश्वकर्मा, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी बन्द हो जाना चाहिए।

181. **श्री युवराज ठाकुर , ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी चालू होना चाहिये, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिये।

182. **श्रीमती प्रभा बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**

➢ कंपनी बंद होना चाहिये।

183. **श्रीमती गणेश्वरी बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी बंद होना चाहिये।

184. **श्री जलिया बाई, ग्राम–ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी बंद होना चाहिये।

185. **श्री डगेश्वरी बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ प्लांट शुरू होना चाहिये।

186. **श्री सरोज बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी बंद होना चाहिये।

187. **श्री सोमनी बाई, गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट बंद हो।

188. **श्रीमती लता मसियारे, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ काम बन्द होना चाहिये।

189. **श्री गंगा बाई यादव, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ काम बन्द होना चाहिये।

190. **श्री शीला बाई बघेल, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी बंद होना चाहिये।

191. **श्री पद्मा बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी बंद होना चाहिये।

192. **श्री रोहिणी बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
➢ कंपनी बंद होना चाहिये।

193. **श्री तुलसीराम ठाकुर, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
➢ हमारे गांव के कोई आदमी को कंपनी में काम में नहीं लिया गया है, हमारे गांव के आदमी को लेना चाहिये।

194. **श्री छगनलाल खरे, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
➢ सबको काम मिलना चाहिये।

195. **श्री मोहित कुमार, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिये, 12 पंचायत में से गांव के एक–एक आदमी को काम मिलना चाहिये।

196. श्री ईतवारी राम, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट बन्द होना चाहिये।

197. श्री अजित राम भूआर्य, ग्राम–झरनटोला/आश्रित ग्राम मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ कंपनी 8–10 साले से संचालित है, दूषित पानी के नाला में जा रहा है, नाला का पानी खराब हो गया है, मवेशी इसमें फंस रहे हैं, नाला पट गया है, जिससे शासन सुस्त है। अब यह कंपनी पुनः चालू हो रहा है, कंपनी बन्द होना चाहिए।

198. श्री तिलकराम खरे, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट लगने पर गांव के बाहर के आदमी को काम पर लगा दिया जाता है, गांव के आदमी को काम पर नही लिया जाता है, उसकी सुनवाई कौन करेगा, प्लाण्ट बन्द हो।

199. श्री राजेश कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट बन्द होना चाहिये।

200. श्री युवराज खरे, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिये।

201. श्री राजेश कुमार, ग्राम– गैंजी, जिला–बालोद।

➢ कंपनी में रोजगार मिले।

202. श्री गौकरण ठाकुर, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।

➢ कंपनी चालू होना चाहिए, सबको रोजगार मिले।

203. श्रीमती तामेश्वरी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मै अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि जहां पर गोदावरी कंपनी लगा है वहां पर क्या स्थिति है उसे अधिकारी महोदय जाकर देखे, किसानों को देखकर फैसला किजिये गांव की जल जमीन की हालत कैसी है। हमारे लड़के बाहर पढ़ने जाते है, एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। मैं प्लांट का विरोध करती हूं।

204. श्रीमती सुंदरिया बाई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मुझे कंपनी नही चाहिए।

205. श्रीमती श्वेता कोठारी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट नही चाहिए।

206. श्रीमती केशरी बाई, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ कंपनी नहीं लगना चाहिए।

207. श्रीमती भगवंतिन बाई, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ कंपनी बन्द होना चाहिये।

208. **श्रीमती सुंदरी बाई, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- कंपनी बन्द होना चाहिये।

209. **श्रीमती कलीन बाई, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- कंपनी बन्द होना चाहिये।

210. **श्री नारायण साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- कंपनी चालू होना चाहिए।

211. **श्री रमेश कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- प्लाण्ट पुनः चालू होना चाहिए, भविष्य में भी प्लांट चालु रहना चाहिये। रोजगार सबको मिलना चाहिये।

212. **श्री दिनूराम दानीटोला, ग्राम–बोरी, जिला–बालोद।**
- कंपनी खुलना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं।

213. **श्री मनेश कुमार, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- मै फैक्ट्री को बन्द करना चाहता हूँ।

214. **श्री ब्रिजलाल रावटे, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
- मै गिधाली पंचायत से कहना चाहता हूँ कि हर पंचायत से कम से कम 50, 25 लोगों को रोजगार देते हैं तो ठीक है अन्यथा प्लांट बंद करें।

215. **श्री मनोज, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
- कंपनी खुलना चाहिए।

216. **श्री पंकज सिन्हा, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
- प्लाण्ट खुलना चाहिए।

217. **श्री रामलाल, दल्लीराजहरा, जिला–बालोद।**
- प्लाण्ट चालू होना चाहिए, मैं प्लाण्ट लगने का समर्थन करता हूं।

218. **श्री सहदेवराम, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**
- प्लाण्ट खुलना चाहिए।

219. **श्री रोहित कुमार यादव, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- भारत माता की जय, बड़ सौभाग्य की बात है कि 10 साल पहले जब गोदावरी प्लाण्ट खुला तो ग्राम गिधाली के पुरे आदमी हम मन से सहयोग मॉगिस तो हमन सहयोग दीस। लोग लईका सब मन ला आके धरना प्रदर्शन करीस, झण्डा लगाईस, हमन

कुसुमकसा जा के प्रदर्शन करीस, मगर मरकामटोला के आदमी मन ला काम नई मिलिस, ऐ कारण गोदावरी प्लांट बंद होना चाही।

220. श्री फकीर राम भूआर्य, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ भारत माता की जय, मेरा तो कहना है गोदावरी प्लाण्ट को 7 पंचायत से एनओसी मिली है, इस कंपनी का हम समर्थन नही करते हैं, प्लाण्ट बन्द होना चाहिये। नाला में डेम बनाके उद्योग में पानी लिया जाता है। नाला बहुत गहरा है। कई बार सूचना दिये, गोदावरी प्लांट को बोला, लेकिन वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। नाले में हमारे कई मवेशी अब तक मर चुके हैं। इन लोगों ने अधिकारियों को भी मिला लिया है। गोदावरी प्लांट आज नहीं होना चाहिये और कल नहीं होना चाहिये। प्लाण्ट बन्द होना चाहिए।

221. श्री रोहित कुमार जगनायक, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट खुलना चाहिए।

222. श्री खुमान सिंह देहारी, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ ये कंपनी बन्द होना चाहिये। मेरा पड़वा मर गया है, मै तीन चार बार वहॉ गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ।

223. श्री अन्नूराम यादव, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिये।

224. श्री भुवेन्द्र कुमार यादव, ग्राम– गैंजी, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिये।

225. श्री राकेश कुमार , ग्राम– गैंजी, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिये। बेरोजगारों को काम मिलना चाहिये।

226. श्री महरूराम, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ मेरा प्लाट भी नाला के पास फसा है। गोदावरी प्लांट नहीं होना चाहिये।

227. श्री रूपसिंग ठाकुर, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट बिल्कुल बन्द होना चाहिये।

228. श्री बुधरूराम भुआर्य, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ गोदावरी प्लाण्ट से आठो बारह महिने घाटा होता है। देख रेख कोई नहीं करता है। कौन सुधार करें। मुझे पलांट नहीं चाहिये।

229. श्री दिलेश कुमार, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट बंद रहेगा।

230. **श्रीमती देसीन बाई, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
- ➢ प्लाण्ट बन्द हो जाए।

231. **श्रीमती मीना बाई, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
- ➢ प्लाण्ट बन्द हो जाए।

232. **श्री सनत कुमार खरे, ग्राम–दानीटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ जितने भी प्लाण्ट है, उन्हें अपने आसपास के पर्यावरण को देखना चाहिए। विकास या कोई भी चीज जो प्लाण्ट से संबंधित हो, लिखित देना चाहिए। लिखित दे तो ठीक है, नहीं तो प्लाण्ट नहीं।

233. **श्री तिजउराम साहू , ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ मैं गोदावरी प्लाण्ट से सहमत नही हूं।

234. **श्री मोहित कुमार रावटे , ग्राम– मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ गोदावरी प्लाण्ट बन्द होना चाहिए।

235. **श्री केवल राम ग्राम–दानीटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ मैं जनसुनवाई का समर्थक हूं।

236. **श्री भगतराम, ग्राम– मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ मैं इस कंपनी को चालू होने पर आपत्ति करता हूं।

237. **श्री यश कुमार ग्राम पंचायत झरनटोला, ग्राम मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ हमारा खेत फैक्ट्री से लगा हुआ है जिसे मेरे बाबा बिसाहू राम ने अपनी मेहनत से बनाया है, और आज जब ये मिट्टी से ढ़ंककर दब जायेगा तो मेरे बाबा के पसीने का क्या महत्व रह जायेगा, इसलिये मैं इस कंपनी को बन्द करना चाहता हूं।

238. **श्री यशवंत कुमार , ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- ➢ ग्राम गिधाली के बेरोजगार लड़कों को रोजगार मिले, तो मैं कंपनी का समर्थन करता हूं।

239. **श्री टेटकूराम धुवे, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- ➢ बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, इसलिये मैं समर्थन करता हूं।

240. **शेख नसरूद्दीन, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ प्लाण्ट जल्दी चालू हो, मैं प्लाण्ट इसका समर्थन करता हूं।

241. **श्री शिवराज, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ मैं समर्थन में हूं। कंपनी चालू होना चाहिए।

242. श्री रोहित अग्रही, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

243. श्री भोपूराम रावटे, ग्राम–चिपरा, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

244. श्री भलेन्द्र कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

245. श्री भागीराम साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए और तत्काल जल्दी से जल्दी फैक्ट्री चालू होना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं।

246. श्री चंपालाल साहू, ग्राम–जिला–बालोद।

➢ मैं कंपनी चालू होने के पक्ष में हूं और मैं इसका कारण स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय महोदय जी गिधाली कंपनी चालू होने से यहां के मजदूरों के घर में जो प्रोग्रेस आता है, डेवलपमेन्ट होता है, हमको स्पष्ट दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो डेवलपमेन्ट आता है, उससे जुड़े लोग जो साईकल में चलते थे, अब मोटर साईकिल में चलते हैं। जिससे मोटर साईकल बनाने वाले, रिपेयर करने वाले, पंचर बनाने वाले, पेट्रोल भरने वालों का भी डेवलपमेन्ट होता है जो हमारी नजर में नही आता है। यहां प्लाण्ट से कई गाड़ियां चलती है, गाड़ी चलने से ड्रायवर, हेल्पर और गाड़ी मालिकों को भी रोजगार मिलता है उनका डेवलपमेन्ट होता है। साथ ही रिपेयर करने वालों और टायर पंचर बनाने वालों का भी विकास होता है। महोदय जी ये कंपनी रायपुर की है, यदि कंपनी में काम करने वालों को 10 लाख रूपये का वेतन भी मिलता है तो ये पैसा कहीं बाहर नही जाता है। दिल्ली नही जाता है, ये पैसा इसी एरिया के ही डेवलपमेन्ट के काम आता है। इस पैसे से यहां कोई घर खरीदता है, सामान खरीदता है, बच्चों को पढ़ाता है, कपड़े खरीदता है। यहीं का पैसा यही उपयोग होता है। इसलिये आदरणीय महोदय जी प्लाण्ट जल्दी चालू किया जाये।

247. श्री गैंदलाल बालेन्द्र, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मेरे गांव के जितने बेरोजगार भाई हैं, उन्हें भी रोजगार मिलना चाहिए। प्लाण्ट चालू हो।

248. श्री चरन, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

249. श्री भीखम सिंह, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

250. श्री संतोष गावरे, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ भारत माता की जाये। सब तो अपने काम के लिये सोचते हैं, और हम तो अपने गांव के लिये सोचते हैं। जितना कंपनी का गन्दा पानी हमारे गांव के खेत में जाता है, उसके लिये मैंने गोदावरी से कहा लेकिन कंपनी वालों ने मेरे खेत से मिट्टी/शिल्ट को नही हटाया। मैने गार्ड को भी कहा, मैं प्लाण्ट बन्द करना चाहता हूं।

251. श्री श्याम सिंह ध्रुवे, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं कंपनी में 2006 से ड्रायवर के पद पर हूं, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

252. श्री माखनलाल कोठारी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं प्लाण्ट चालू का समर्थन करता हूं।

253. श्री दिलीप कुमार, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू होने का समर्थन करता हूं।

254. श्री ईश्वर रावटे, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

➢ गांव का विकास हो, पंचायत का विकास हो, इसलिये प्लाण्ट चलना चाहिए।

255. श्री पन्नूराम ध्रुवे, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ जनसुनवाई का समर्थन करता हूं।

256. श्री छन्नूलाल, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट से लगा मेरा जमीन खसरा नंबर 86 है, जब गोदावरी प्लाण्ट के पास अपनी शिकायत के ले के गया तो उन्होंने कोई ध्यान नही दिया। इसलिये प्लाण्ट बन्द होना चाहिए।

257. श्री हीरालाल साहू गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं प्लाण्ट चलाने का समर्थन करता हूं।

258. श्री तारन सिंग, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं किसान हूं, कंपनी बन्द होना चाहिए।

259. श्री चंद्रकुमार, ग्राम–झरनटोला/आश्रित ग्राम मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ बहुत से कारण है इसलिये मैं यहां पहुंचा हूं, सबसे पहले प्लाण्ट 8–10 से चालू है। मुझसे पहले के भाई अभी भाषण दे के गये हैं, बोलते हैं बहुत डेवलपमेन्ट हुआ है, अब तक तो कोई डेवलपमेन्ट नही हुआ है। खाली कंपनी चालू हुआ है, फायदा तो केवल कंपनी को ही हुआ है, सबसे ज्याद तो मरकामटोला का ही नुकसान हुआ है, और सिर्फ मरकामटोला का ही नुकसान हुआ है। हमारे मवेशियों को नुकसान हुआ है, हमारी बस्ती में गन्दा पानी जाता है। हमें तो इतना नुकसान हुआ है कि हम बता नही सकते। किसान भाई 5–10 लाख में जमीन बेच देगा, उसे क्या फायदा होगा, फायदा तो बस कंपनी को होगा। उसके बाद कंपनी 4–5 साल के लिये नौकरी पर रख लेगी, 5 साल

में 5 लाख खतम हो जायेंगे, फिर नौकरी से निकाल देगी, किसान भाई बेरोजगार होकर भटकने लगेंगे। काम की तलाश में बाहर जायेंगे, हैदाराबाद, रायपुर जायेंगे। हम चाहते हैं कि किसान भाई का फायदा होना चाहिए। मेरे इस भाषण से पता नही कंपनी खुलेगी या नही, कोई प्रभावित होगा या नही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित मरकामटोला वालों को होना चाहिए। हमारी जमीनें जिसे पूर्वजों ने उपजाउ बनाया है, वो बंजर बन चुकी है। क्या मुआवजा कंपनी देगी। कंपनी बस 5–10 हजार रूपये देगी। हमारे गांव का नाला जो पहले बहुत अच्छा था, अब कंपनी के गाद से दब चुका है। मवेशी मर रहे हैं। कल तक हम लोग डबल फासल बोते थे, आज एक ही फासल बोते हैं। हम डबल बोते तो खुश रहते, लेकिन क्या करें जमीन लाल मिट्टी, गाद से भर चुकी है। हमें कंपनी का विरोध है।

260. श्री कृष्णा राम ध्रुवे, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट चालू हो, मैं इसका समर्थन करता हूं।

261. श्री नेमीचंद मोरिया, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ जनसुनवाई का समर्थन करता हूं।

262. श्री केवल भारद्वाज, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी बन्द होना चाहिए।

263. श्रीमती गीतिका शाहनी, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ सबसे पहले तो ये पुराना वाला प्लाण्ट गोदावरी प्लाण्ट चल रहा है अभी जो नई कंपनी आई जो उसका नाम गोदावरी नेचुरल रिसोर्स प्रा0लि0 है तो हमें नये और पुराने को जोड़कर नही देखना चाहिए। हमें नये प्लाण्ट का समर्थन करना चाहिए।

264. श्री शमीम खान, ग्राम–कुसुमकसा, जिला–बालोद।

➢ मैं समर्थन करता हूं, विकास सर्वोपरि है विकास होना चाहिए।

265. श्री दिलीप कुमार सिन्हा, कुसुमकसा, जिला–बालोद।

➢ मैं समर्थन में हूं।

266. श्री धनेशराम, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं किसान का लईका हूं, मैं प्लाण्ट के विरोध में बोलना चाहता हूं। प्लाण्ट 10 वर्ष पहले चालू हो गया था, आज तक यहां विकास नही हुआ है। जो 10 साल में नही हुआ वो अब क्या होगा। केवल विकास की बात की जा रही है। किसान को गुमराह किया जा रहा है, इस प्लाण्ट को लगाने में कंपनी की भी कुछ नियत होगी, यदि नियत है तो विकास की योजना बताना चाहिए, मैं प्लाण्ट के असमर्थन में हूं।

267. श्री कुंजू पटेल, ग्राम–बकरीटोला, जिला–बालोद।

➢ गांव का विकास और बेरोजगारी दूर करने के लिये प्लाण्ट चालू होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं।

268. श्री बृजलाल, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

- ये जो प्लाण्ट लगा है उससे लाल पानी आता है। इसलिये प्लाण्ट बन्द होना चाहिए।

269. श्री नोहर सिंह, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

- प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

270. श्री केवल देवांगन ग्राम–गिधाली/बकरीटोला, जिला–बालोद।

- सबसे पहले मैं यहां आये सभी अधिकारियों का स्वागत करता हूं। कंपनी चालू होने से समस्या है तो उसका निराकरण भी है। यहां जो आसपास के किसान विरोध कर रहे हैं उसमें प्रमुख कंपनी का वेस्ट पानी गांव के खेतों में जा रहा है। उसके लिये वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट बनाया जाये, जिससे समस्या हल हो जायेगी। दूसरी बात– कंपनी के लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी प्रबंधकों से यह निवेदन है कि कंपनी के ट्रक रोड में लगे रहते हें उससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, उन्हें ट्रकों को रोड पर खड़ा नही रखना चाहिए। कंपनी को अपने कर्मचारियों, ट्रक ड्रायवरों को निर्देशित करना चाहिए कि वे ट्रकों को रोड पर सड़क पर खड़ा न करें। चौथी बात– कंपनी से आसपास का डेवलपमेन्ट होगा। भिलाई पहले छोटा गांव था। आज बीएसपी लगने से आसपास और भी कई कंपनियॉ लगी। पहले हमारे गांव के लोग बाहर जाते थे, जैसे चंदपुर जाते थे। यदि रोजगार मिल रहा है तो समस्या नही होना चाहिए।

271. श्री नंद किशोर देवांगन, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

- गांव के विकास और बेरोजगारी दूर करने के लिये प्लाण्ट जरूरी है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

272. श्री तुलसीराम, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

- मैं कंपनी में कुछ समय पहले काम करता था। मेरे साथ लगभग 15–20 लोग काम करते थे, कुछ दिन बात काम बन्द हो गया। बाद में उन्होंने 15–20 लोगों को फिर रख लिया लेकिन मुझे नही रखा। प्लाण्ट बन्द होना चाहिए।

273. श्री मोहन पटेल, ग्राम–दल्लीराजराहरा, जिला–बालोद।

- प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

274. श्री राजाराम मण्डावी, ग्राम– पिंगाल, जिला–बालोद।

- प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

275. श्री पवन, ग्राम–भर्रीटोला, जिला–बालोद।

- जितना बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

276. श्रीमती फूलकुंवर, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ ये कंपनी बन्द है तो गाड़ी मोटर कम चलती है, कंपनी खुलने से गाड़ी ज्यादा चलेगी, समस्या होगी, कंपनी नहीं लगना चाहिए। पास में मेरे खेत भी लगा है। कंपनी का लाल पानी आता है। अभी कंपनी बन्द है तो पानी नहीं आ रहा है। कंपनी में कोई भी सुनवाई नही होती है।

277. श्री प्रभुराम, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मेरे खेत भी लगा है, लाल पानी आता है, इसलिये कंपनी में काम बन्द होना चाहिए।

278. श्री विनोद कुमार कोठारी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मेरा खेत भी प्लाण्ट से लगा हुआ है, आज 16 साल से कंपनी चल रही है, कंपनी जब से आयी है तब से मैं जमीन में एक फसल भी नही ले पाया हूं। मेरी जमीन 16 साल बंजर पड़ी है, इसका निराकरण तत्काल किया जाये। कंपनी लगने से जल, जंगल, जमीन खतम हो रहे हैं, जंगलों के जानवर कहां जायेंगे, कंपनी से लाल पानी आता है, वाटर लेवल गिर गया है। सबसे पहले तो जिन किसानों से जमीन ली गई है उन्हें 50 लाख का मुआवजा दिया जाये। कंपनी से जब अपनी समस्या पर बात करते हैं तो कंपनी है पर्सनल में बात करिये, हमें पर्सनल में बात नही करना है। जो बात करना है वो सबके सामने करना है। हम कंपनी के सदा विरोध में है। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जय जवान जय किसान..

279. श्री पुरूषोत्तम लाल बरसे, ग्राम–झरनटोला, जिला–बालोद।

➢ भारत माता की जय। हमारा गांव कंपनी को समर्थन देते आ रहा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव मरकामटोला पर ही पड़ा है। कंपनी से निकलने वाले लाल पानी से नाला जाम हो गया है, जिसमें मवेशी फंसते जा रहे हैं, दलदल की स्थिति हो गई है, क्या पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, कंपनी चालू होगी तो हमारे गावं की स्थिति और खराब हो जायेगी, इसलिये कंपनी बन्द होना चाहिए। भारत माता की जय..

280. श्री चैतराम बढ़ई, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी से लगा मेरा खेत है, कंपनी का पूरा डस्ट मेरे खेत में जा रहा है, कंपनी लगने का मैं विरोध करता हूं , कंपनी बन्द होना चाहिए।

281. श्री कोमल सिंग नेताम, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी बन्द होना चाहिए।

282. श्री सोबिनराम, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ पावर प्लाण्ट बन्द होना चाहिए।

283. श्री गजेन्द्र कुमार देवांगन, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

➢ कंपनी खोला जाये, मैं बेरोजगार हूं मुझे रोजगार मिले।

284. श्री गोपीचंद, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ कंपनी से लाल पानी निकलता है जिससे नदी पूरा भर जाता है खेत बर्बाद हो रहा है खेत अब उपजाउ नही रहे। इसलिये फैक्ट्री बन्द होना चाहिए।

285. श्री लेखराम ध्रुव, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी बन्द होना चाहिए।

286. श्री श्याम लाल चुरेन्द्र, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ मेरे हिसाब से कंपनी बन्द होना चाहिए।

287. श्री चिन्ता राम चौधरी, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ प्लाण्ट लगने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, मैं गोदावरी प्लाण्ट के बन्द होने के पक्ष में हूं। प्लाण्ट के लाल गन्दा पानी से खेत बंजर हो जाता है, ये गन्दा पानी नदी, नाला मिलता है जिसे मवेशी पीते है और मर जाते हैं। प्लाण्ट लगने का मैं विरोध करता हूं। खासकर मवेशी खेत में जो गन्दा पानी मशीन के द्वारा जाता है गन्दा पानी जाकर खेत को बंजर हो जाता है, नदी नाला में मिलता है, असहमत हूं।

288. श्री अमरनाथ, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ मैं गोदावरी प्लाण्ट से सहमत नही हूं।

289. श्री संजय बैस, ग्राम–कुसुमकसा, जिला–बालोद।

➢ मैं ग्राम कुसुमकसा का जनपद सदस्य हूं और व्यापारी संघ का भी अध्यक्ष हूं। प्लाण्ट लगने से लोगों को रोजगार मिला है, और व्यापार का भी विकास हुआ है। गोदावरी पावर यदि अंग्रेजों की नीति की जगह लोगों की हित में काम किया होता तो आज मरकामटोला के लोग भी विरोध नही कर रहे होते। मैं समर्थन करता हूं।

290. श्री प्रकाशचंद जैन, अध्यक्ष व्यापारी संघ, ग्राम–कुसुमकसा, जिला–बालोद।

➢ मैं आप सबका नववर्ष में अभिवादन करता हूं। सबसे पहले तो दोनों प्लाण्ट अलग अलग है। प्लाण्ट लगने से गांव को रोजगार मिला है। इससे गाड़ी वालों को, ड्रायवर, मजदूरों को काम मिला है, लोगों का विकास हुआ है। कंपनी से होने वाली समस्या के संबंध में लोगों को बैठक करके रोजगार से जुड़ी समस्याओं को हल करना चाहिए। मैं प्लाण्ट खुलने का समर्थन करता हूं।

291. श्री लखोर सिंग, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ गोदावरी प्लाण्ट के किनारे मरकामटोला बसा हुआ है, उससे हमारे गांव का नदी नाला प्रभावित हो रहा है, मैं प्लांट का समर्थन नही करता हूं।

292. श्री शिवप्रसाद भुआर्य, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ कंपनी से लगा मेरा प्लाट है, 10–12 साल से मेरे खेत में कुछ नही हुआ है। मैं 3 बार गोदावरी प्लाण्ट गया, लेकिन प्लाण्ट वालों ने कुछ नही किया। मैं 10 लोगों के

परिवार को पालने वाला एक अकेला व्यक्ति हूं, ये प्लाण्ट वाले कुछ नही कर रहे हैं, मैं प्लाण्ट खुलने का विरोध करता हूं।

293. श्री भीखमसिंग, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

➤ कंपनी खुलना चाहिए, साथ ही अवैध कब्जा यहां, वहां जहां भी हो उसे हटाया जाये।

294. श्री धनसिंग नेताम, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➤ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

295. श्री लिखनलाल, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➤ मैं समर्थन करता हूं। लाल पानी जो किनारों से खेतों में जा रहा है उसके लिये किसानों को मुआवजा मिले।

296. श्री बुधवार सिंग, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➤ मेरा जमीन प्लाण्ट के नीचे है जिससे लाल पानी दलदल से धान नही हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्लाण्ट चालू हो।

297. श्री सूरज राम विश्वकर्मा, ग्राम–चिपरा, जिला–बालोद।

➤ प्लाण्ट चालू होना चाहिए, और आसपास के भाईयों को काम मिले।

298. श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम–चिपरा, जिला–बालोद।

➤ प्लाण्ट चालू होना चाहिए, कंपनी को लाल पानी की समस्या दूर करना चाहिए।

299. श्री हेमन्त कुमार साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➤ प्लाण्ट चालू होना चाहिए।

300. श्री दुआरू राम साहू , ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➤ मैं माननीय महोदय से इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्लाण्ट से मरकामटोला गांव के किसानों को नुकसान हो रहा है, सब कहते हैं जल ही जीवन है, यदि जल को स्वच्छ नही रख पाते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, शासन से निवेदन है कि जल प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्लाण्ट को बन्द रखा जाये तो अच्छा होगा।

301. श्री सियाराम भूआर्य, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➤ कंपनी से मेरे गांव को बहुत नुकसन है। इस कंपनी के पानी में नहाने से खुजली होती है। मैं कंपनी लगने का विरोध करता हूं।

302. श्री दुखूराम पटेल, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➤ मैं विरोध करता हूं।

303. श्री सुंदरलाल तारंग, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

- जब से प्लाण्ट 10–12 साल से चालू हुआ है, हमारा खेत बंजर हो गया है, कंपनी लगने से जल–जंगल–जमीन को नुकसान हुआ है, कोई रोजगार नही मिला है। मैं कंपनी लगने का विरोध करता हूं।

304. श्री सेवा राम कृपाल, ग्राम– मरकामटोला, जिला–बालोद।

- मैं विरोध करता हूं।

305. श्री धरमूराम भूआर्य, जिला–बालोद।

- मैं कंपनी नही चाहता हूं।

306. श्री परसराम गावरे, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

- मैं कंपनी को रिजेक्ट करना चाहता हूं।

307. श्री बालमुकुन्द भुआर्य, ग्राम मरकामटोला, जिला–बालोद।

कंपनी बन्द होना चाहिए।

308. श्री यशवंत कुमार, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

- कंपनी बन्द होना चाहिए।

309. श्री राजकुमार गावरे, ग्राम–झरनटोला/आश्रित ग्राम मरकामटोला, जिला–बालोद।

- कंपनी बन्द होना चाहिए।

310. श्री मेनसिंग रावटे, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

- प्लाण्ट नहीं लेंगे।

311. श्री बिरेन्द्र चौधरी , ग्राम–झरनटोला, जिला–बालोद।

- कंपनी बन्द कराना चाहता हूं।

312. श्री धनंजय कुमार, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

- मैं कंपनी बन्द करवाना चाहता हूं।

313. श्री चंद्रहास भूआर्य, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

- मैं इस कंपनी को बन्द करवाना चाहता हूं।

314. श्री रामनारायण साहू, ग्राम–झरनटोला,, जिला–बालोद।

- मैं समर्थन में नही हूं।

315. श्री नूतन कुमार, ग्राम गिधाली, जिला–बालोद।

- मैं समर्थन करता हूं।

316. श्री सोहनलाल, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
- मैं विरोध करता हूं।

317. श्री लोकेश कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
- मैं विरोध प्रदर्शन करता हूं।

318. श्री तोशन कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
- मैं विरोध प्रदर्शन करता हूं।

319. श्री डेरहाराम, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
- मैं विरोध प्रदर्शन करता हूं।

320. श्री राहुल कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
- मैं विरोध करता हूं।

321. श्री हितेश ध्रुवे, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
मैं प्लाण्ट बन्द करने का समर्थन करता हूं।

322. श्री काशीराम, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
- महोदय जी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी से निकलने वाले गन्दे पानी में गांव के जानवर फंस रहे हैं, उपजाउ भूमि बंजर हो गया है, कृषि कार्य करना मुश्किल हो गया है, मैं कंपनी चलाने में असमर्थन बताता हूं।

323. श्री योगेश कुमारसाहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
- प्लाण्ट चालू करने के समर्थन में हूं।

324. श्री जीवन लाल गावड़े, ग्राम–झरनटोला, जिला–बालोद।
- प्लाण्ट चालू करने के समर्थन में हूं।

325. श्री धनाजी राम, ग्राम–सुवरबोड़, जिला–बालोद।
- प्लाण्ट चालू करने के समर्थन में हूं।

326. श्री त्रिलोचन मण्डावी, ग्राम–सुवरबोड, जिला–बालोद।
- प्लाण्ट चालू करने में सहमत हूं।

327. श्री राजकुमार खरे, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।
- प्लाण्ट चालू करने में सहमत हूं।

328. श्री राजेश्वर ध्रुर्वे, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
- कंपनी चालू होना चाहिए।

329. श्री कार्तिक राम, ग्राम–भर्रीटोला, जिला–बालोद।

- प्लाण्ट चालू करने में सहमत हूं।

330. श्री गजानंद ठाकुर, ग्राम–बोरी, जिला–बालोद।

- प्लाण्ट चालू करने में सहमत हूं।

331. श्री उपेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

- सबसे पहले प्लाण्ट का जो सक्षम अधिकारी है, मैं उससे पहले क्वेश्चन करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं वार्ड क्रमांक 02 का पंच हूं। सबसे पहले मुझे ये जानकारी चाहिये कि क्या कृषि भूमि पर प्लाण्ट लगाने का अधिकार है। मैं सक्त विरोध करता हूं। ये जो भूमि है कृषि भूमि है। आपने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को जो कागज दिया है उसमें केसरानाला से पानी लेने की बात लिखी गई है। लेकिन इस प्लाण्ट से भूमिगत जल लिया जायेगा। जिससे भूमिगत जल का स्तर गिर जायेगा। आपने लिखा है कि यहां वन्य जीव नहीं है। जो पूरी तरह गलत है। यहां बहुत से वन्य जीव रहते हैं। यहां राष्ट्रीय पक्षी मयूर भी रहता है। आपने लिखा है कि रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार के नाम पर केवल ठगी हो रही है। महोदय जी यह आदिवासी क्षेत्र है, यहां कोई प्लाण्ट में शराब पीकर चला जाता है तो उसे हटा दिया जाता है, 07 दिन के लिये नौकरी से बैठा देते हैं। प्लाण्ट ने गांव की धरसा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। प्लाण्ट अपने वेस्ट मटेरियल को भूमि पर इकट्ठा करके अपने अवैध कब्जे को बढ़ाता चला जा रहा है। मेरा कहना है कि प्लाण्ट नही लगना चाहिए।

332. श्री पीलूराम पटेल, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

- मैं कंपनी के चालू होने में सहमत हूं। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। सबसे पहले तो ग्राम गिधाली और बकलीटोला को रोजगार में प्राथमिकता मिलना चाहिए। क्योंकि कंपनी का गन्दा पानी सबसे ज्यादा ग्राम बकलीटोला में ही जाता है। बकलीटोला गांव कंपनी के निचले क्रम में है। अभी यहां लोगों ने कहा कि कंपनी का पानी मरकामटोला जाता है जो गलत बात है। दल्ली कंपनी से ग्राम मरकामटोला में गन्दा नही जाता है क्या, केवल गिधाली प्लाण्ट से ही गन्दा पानी जायेगा। गांव में जिसे भी विरोध हो इस प्लाण्ट से वो मेरा फोन नंबर रख ले और मुझसे बात करे।

333. श्री नेतराम भूआर्य, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

- मैं समर्थन करता हूं।

334. श्री जोगेन्द्र सिंह नेताम, ग्राम सुवरबोड़, जिला–बालोद।

- मैं प्लाण्ट खुलने का समर्थन करता हूं।

335. श्री सांतूदास, ग्राम सुवरबोड, जिला–बालोद।

- मैं प्लाण्ट खुलने का समर्थन करता हूं।

336. श्री हितेश कुमार, ग्राम गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं। क्योंकि इससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, बोर के द्वारा पानी का भूजल स्तर बहुत कम हो गया है, ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। दलदल में मवेशी फंसकर मर रहे हैं। प्लाण्ट बन्द होना चाहिए।

337. श्री बलराम भूआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मेरा खेता-प्लाण्ट के ठीक नीचे लगा है, मैं चाहता हूं हमें मुआवजा मिले। सड़क मिले प्लाण्ट लगने का समर्थन करता हूं।

338. श्री कैलाश कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं प्लाण्ट चालू करने के समर्थन में हूं।

339. श्री दुलारसिंग भूआर्य , ग्राम–झरनटोला/मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राम गिधाली में प्लाण्ट लगा है जहां से मेरी खेती जमीन 2 किमी. की दूरी पर है। उस प्लाण्ट से मेरे खेत में डस्ट का जमाव बन गया है, मैं विरोध करता हूं। कंपनी नही लगना चाहिए।

340. श्री भूषणलाल पटेल, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ ये कंपनी नही लगना चाहिए। क्योंकि हमने पूर्व में कंपनी को कहा था कि हमारे खेत में लाल मिट्टी जमा हो रही है। एसडीएम को भी कहा था कि नाला साफ कराया जाये। कोई कार्यवाही नही हुई। हम कंपनी नही चाहते क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है।

341. श्री सीलूराम, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ ये कंपनी नही लगना चाहिए।

342. श्री धनेश्वर कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं इस प्लाण्ट का समर्थन करता हूं। जब कंपनी चालू थी तब कई लोगों को रोजी–रोटी मिलती थी। जब से प्लाण्ट बन्द हुआ है कई लोग बेरोजगार होकर भटक रहे हैं तो कंपनी खुलना चाहिए।

343. श्री मोहन साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी होने के पक्ष में हूं मैं।

344. श्री प्रदीप कुमार बलेन्द्र, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं कंपनी चालू करने के समर्थन में हूं।

345. श्री राजूराम भुआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं कंपनी चालू करने के समर्थन में हूं। युवाओं को रोजगार मिले और गांव का विकास हो। कंपनी चालू होना चाहिए।

346. श्री कणेश्वर भारद्वाज, ग्राम गिधाली, जिला–बालोद।
- ➢ मैं कंपनी खोलने के समर्थन में हूं।

347. श्री राकेश कुमार यादव, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।
- ➢ मैं कंपनी के समर्थन में हूं।

348. श्री इलेन ध्रुवे, ग्राम गिधाली, जिला–बालोद।
- ➢ मैं कंपनी के समर्थन में हूं।

349. श्री ज्ञानिकराम नेताम, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
- ➢ मैं कंपनी के समर्थन में हूं।

350. श्री रोहित सुधाकर, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
- ➢ मैं कंपनी के समर्थन में हूं।

351. श्री कृष्णराम भूआर्य, ग्राम–झरनटोला/मरकामटोला, जिला–बालोद।
- ➢ मैं यही चाहता हूं कि मेरा खेत नाले के किनारे फंसा है उसमें कंपनी का लाल पानी जाता है जिससे जमीन लाल हो गई है और मेरी खेती खराब हो गई है। अभी तक इसके लिये कंपनी ने कुछ नही किया है। कंपनी ने हर गांव से किसी न किसी को काम देने कहा था। लेकिन कंपनी में गांव के किसी को भी काम में नही लिया गया है। ये किसानों को बहलाना चाहते हैं, इसलिये फैक्ट्री बन्द होना चाहिए।

352. श्री कोमल सारथी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।
- ➢ कंपनी खोलने के समर्थन में हूं।

353. श्री विष्णुराम भुआर्य, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।
- ➢ मैं यह कहना चाहता हूं कि ये फैक्ट्री बहुत नुकसान कर रही है। नदी–नालों में गाय–बैल फंस रहे हैं, गाय मर रही हैं। मैं अपना विरोध करता हूं।

354. श्री रूपलाल भूआर्य , ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।
- ➢ कंपनी बन्द होना चाहिए।

355. श्री रामेश्वर, मरकामटोला, जिला–बालोद।
- ➢ मैं विरोध में हूं।

356. श्री भुखराम चौधरी, ग्राम–झरनटोला, जिला–बालोद।
- ➢ कंपनी बन्द है, बन्द ही रहे उसे चालू न किया जाये।

357. श्री रोहित कोठारी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी 10 साल में कुछ नही कर सका, तो अब क्या खाक करेगा, मैं असमर्थन करता हूं।

358. श्री अनिल कुमार यादव, ग्राम–झरनटोला / मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ मैं कंपनी खुलने के असमर्थन में हूं।

359. श्री भूपेन्द्र कुमार रावटे, ग्राम–झरनटोला, जिला–बालोद।

➢ कंपनी बन्द होना चाहिए।

360. श्री अजय कुमार भुआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी चालू होना चाहिए।

361. श्री परसूराम चुरेन्द्र, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं प्लाण्ट का समर्थन करता हूं। बेरोजगारों को रोजगार मिले।

362. श्री दिलीप कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं समर्थन करता हूं।

363. श्री रविकुमार यादव, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी खुलना चाहिए।

364. श्री महेश कुमार तारंग, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ कंपनी खुलने का विरोध करता हूं।

365. श्री विदेशीराम भूआर्य , ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ कंपनी बन्द होना चाहिए।

366. श्री संतोष कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी बन्द होना चाहिए।

367. श्री देव सिंग, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी बन्द होना चाहिए।

368. श्री सोमनाथ भूआर्य, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➢ मैं विरोध करता हूं क्योंकि हमारे गांव के मवेशी नाला में फंस जाते है। मैं इस कंपनी को बन्द करना चाहता हूं।

369. श्री प्रमोद दास, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं घोर विरोध करता हूं। प्लाण्ट से निकलने वाले लाल पानी और धूल डस्ट ने जमीन की उर्वरता को कम कर दिया है। प्लाण्ट के दलदल में मवेशी फंस रहे हैं। भूमिगत

जल नीचे चले गया है। ये कंपनी हमें बहला फुसलाकर रोजगार का लालच दे रही है। कह रही है कि हर घर से एक रोजगार देंगे। मैं घोर विरोध करता हूं।

370. उपमेश्वरी ध्रुर्वे, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

- यह किस प्रकार की कंपनी है, यह जनता क्यों नही पूछ रही है, कंपनी में बोर नही लगेगा ऐसा कहा गया था, लेकिन लगाया जा रहा है, मैं कंपनी लगने का विरोध करती हूं।

371. श्री नंदकुमार साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

- मैं यह बात बोलना चाहता हूं कि इनके द्वारा सीएसआर एक्टिविटी के नाम पर कुछ नही किया गया है और न ही किया जायेगा, इस कंपनी में काम करने वाले गांव के लोगों का कोई एग्रीमेन्ट नहीं किया जाता, पेमेन्ट में समय समय पर बढ़ोत्तरी नही की जाती है वही बाहर से आकर काम करने वाले लोगों के पेमेन्ट समय समय पर बढ़ाया जाता है। मैं प्लाण्ट में 8 साल काम किया। मुझे केवल 10 हजार रूपये दिये जाते हैं जबकि एक अन्य व्यक्ति पाण्डे जो अभी अभी आया है उसे 20 हजार मिलता है। इसलिये मैं कंपनी लगने का विरोध करता हूं।

372. श्री नरसिंग नेताम, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

- मैं प्लाण्ट होने का विरोध करता हूं।

373. श्री ओमकार सिंग, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

मैं जनसुनवाई से संतुष्ट हूं।

374. श्री लेखराम मण्डावी , ग्राम–गुजरा, जिला–बालोद।

समर्थन।

375. श्री ललित कुमार भूआर्य , ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

- मैं समर्थन में हूं। मैं बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिये सामूहिक आवेदन प्रेषित कर रहा हूं।

376. श्री सन्नू लाल पटेल, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

- प्लाण्ट में काफी लोग कार्यरत हैं, इनके द्वारा 12 पंचायत से एनओसी लिया गया है, मैं प्लाण्ट लगने का समर्थन करता हूं। पंचायत बकलीटोला में 150 घर है वहां से 30 कर्मचारी कंपनी में काम करते हैं। मैं चाहता हूं हर पंचायत से 20–25 आदमी लेना चाहिए।

377. श्री कंवल सिंग, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

- मैं लोक सुनवाई का समर्थन करता हूं।

378. श्री उतराराम भूआर्य, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

- मैं लोक सुनवाई का समर्थन करता हूं।

379. **श्री डोमेश भूआर्य , ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
> मैं समर्थन करता हूं।

380. **श्री तीरथराम, ग्राम– बकलीटोला, जिला–बालोद।**
> मैं समर्थन करता हूं।

381. **श्री डोमनलाल , ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
> मैं समर्थन करता हूं।

382. **श्री गजेन्द्र कुमार , ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
> मैं समर्थन करता हूं।

383. **श्री युगल कुमार, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
> मैं समर्थन करता हूं।

384. **श्री गजेन्द्र कुमार, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
> प्लाण्ट के संबंध में कहना चाहता हूं कि केसरानाला के पास रोड पर गाड़ी खड़ी होने से बहुत दिक्कत होती है। दुर्घटना हो सकती है और अगर ये जनता का फैसला है तो समर्थन करता हूं।

385. **श्री विशाल दास, ग्राम– सुवरबोड़, जिला–बालोद।**
> कंपनी चालू होना चाहिए।

386. **श्री सिनूराम सुवरबोड, जिला–बालोद।**
> कंपनी चालू होना चाहिए।

387. **श्री पंकज कुमार रावटे, ग्राम–सुवरबोड, जिला–बालोद।**
> मैं इसका समर्थन करता हूं।

388. **श्री लेखराम उर्वशा, ग्राम– बकलीटोला, जिला–बालोद।**
> मैं इसका समर्थन करता हूं।

389. **श्री रोशन लाल बकलीटोला, जिला–बालोद।**
> समर्थन करता हूं।

390. **श्री राजीव लाल, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।**
> कंपनी चालू हो और किसान भाईयों को रोजगार मिले।

391. **श्री विकास ध्रुर्वे, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- ➢ प्लाण्ट बन्द हो समर्थन करता हूं।

392. **श्री जसवंत कुमार खरे, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ मैं समर्थन करता हूं।

393. **श्री गैंदलाल , ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ कंपनी बन्द रखना चाहिए।

394. **श्री रघुनाथ, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ कंपनी बन्द होना चाहिए।

395. **श्री ओंमप्रकाश भूआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- ➢ यह प्लाण्ट एक वर्ष बन्द था, जिससे यहां की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, शासन प्रशासन के पास जाकर आवेदन दिया गया, प्लाण्ट चालू होना चाहिए इसका मैं समर्थन करता हूं।

396. **श्री जीवन लाल रावटे, ग्राम–दानीटोला/बोरिद, जिला–बालोद।**
- ➢ कंपनी शुरू होना चाहिए।

397. **श्री कोमल दास, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।**
- ➢ समर्थन करता हूं।

398. **श्री भीखम सिंग रावटे, ग्राम–दानीटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ कलेक्टर महोदय के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि कंपनी द्वारा गांव की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाये, बाहर से मजदूर न लाया जाये, यहां के लोगों को रोजगार दिया जाये, तभी समर्थन करेंगे।

399. **श्री राकेश कुमार पिस्दा, ग्राम–दानीटोला/बोरिद, जिला–बालोद।**
- ➢ कंपनी चले, समर्थन करता हूं।

400. **श्री भीषम चुरेन्द्र, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ समर्थन करता हूं।

401. **मोहम्मद सलमान खान, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।**
- ➢ समर्थन करता हूं।

402. **श्री विकास जगनायक, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम–गैंजी, जिला–बालोद।**

➢ मै ग्राम गैंजी का सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच पुत्र हूॅ। आज सुबह मेरे पास गांव के बेरोजगार लड़के आए थे। उन्होंने मुझसे प्लांट में रोजगार देने की मॉग की। आज

कोरोनाकाल की भीषण समस्या को देखते हुए यदि कोई रोजगार देता है, तो मै उसका समर्थन करता हूँ।

403. श्री यमन कुमार साहू, ग्राम–धुरवाटोला, जिला–बालोद।

➤ प्लांट चालु होने का समर्थन करता हूँ।

404. श्री गोविन्द कुमार सिन्हा, ग्राम–कुसुमकसा, जिला–बालोद।

➤ समर्थन। कंपनी किसानों की बात सुने, काम मजदूरों को मिलना चाहिए, 11 पंचायत से इन्हे एनओसी मिला है, अब 11 पंचायतों से बेरोजगारों को इन्हें काम पर लेना चाहिये। इससे ग्रामों का विकास होगा। विकास होना चाहिए इसलिये इस प्लांट का समर्थन करता हूँ।

405. श्री समीम-खान, ग्राम–कुसुमकसा, जिला–बालोद।

➤ इस प्लांट का समर्थन करता हूँ।

406. श्री मनीष जेठवानी, ग्राम–कुसुमकसा, जिला–बालोद।

➤ इस प्लांट का समर्थन करता हूँ।

407. श्री नरेन्द्र परिहार, ग्राम– कुसुमकसा, जिला–बालोद।

➤ इस प्लांट का समर्थन करता हूँ।

408. श्री खिलावन कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➤ प्लांट चालु होना चाहिये। मै समर्थन करता हूँ।

409. श्री गोपाल कोठारी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➤ पिछले 10 साल से जब से यह प्लाण्ट चल रहा है, गांव की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। अतः इस स्थिति को सुधारने के लिये इसे बन्द करना चाहिये।

410. श्री रोशन कोठारी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➤ वर्तमान में यहां रोजगार की समस्या है, प्लाण्ट लगने से कृषि योग्य भूमि कहां रहेगा, इसलिये मैं कंपनी लगने का विरोध करता हूं।

411. श्री रंजनराम यादव, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

➤ जब कंपनी चालु हुआ तो मैं गाय चराने का काम करता था, कंपनी के लाल पानी से दलदल बन गया है जिसमें गाय फंस जाते हैं। कंपनी ने घेरा नहीं किया है। यह कंपनी बंद हो तो बंद ही रहे। यदि लाल मिट्टी खेतों में भरेगी तो मेरा हल फस जाएगा तो मै खेती कैसे करूंगा। ये 12 पंचायते जिन्होंने इस प्लांट को एनओसी दिया है, सरकार को रोजगार के लिये क्यो आवेदन नहीं करती है। वहॉ से शायद रोजगार मिल भी जाए। प्लाण्ट लगने का मैं विरोध करता हूं।

412. श्री सुरेन्द्र कुमार कोर्राम, ग्राम–सुवरबोड, जिला–बालोद।

➢ कंपनी चालु होने का मै समर्थन करता हूँ।

413. श्री लखनलाल भूआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ हर कोई बोल रहा है, प्लांट बंद होना चाहिये, क्यो बंद होना चाहिये। प्लांट चालु होना चाहिये।

414. श्री अर्जुन कुमार बलेन्द्र, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मै समर्थन में हूँ।

415. श्री लक्ष्मण साहू , ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ गांव के लईका बेरोजगार हैं, इन्हें रोजगार मिलना चाहिए, कंपनी खुले इसके लिये मेरा समर्थन है।

416. श्री टोमनलाल, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ समर्थन में हूँ।

417. श्री रामदेव निरिया, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ कंपनी चालु होना चाहिये।

418. श्री भवानी राम विश्वकर्मा, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

➢ शीतला तालाब का भूमि पूजन करके ये कंपनी वाले आज तक उसमे काम शुरू नही करवाये हैं, शासन द्वारा भी कार्यवाही नही किया जा रहा है। मुझे कंपनी से कोई मतलब नहीं है। कंपनी के शुक्ला जी को आवेदन देते है, मगर कुछ नहीं होता है।

419. श्री ललित कुमार राठौड़, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ प्लांट खुलना चाहिये।

420. श्री देवकुमार साहू, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मै नए प्लांट का तहेदिल से स्वागत करता हूँ।

421. श्री घसियाराम कोठारी, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।

422. श्री गोकुल राम, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।

423. श्री चमन ठाकुर, ग्राम–गुजरा, जिला–बालोद।

➢ प्लांट चालु होंना चाहिये।

424. श्री मुकुटराम, ग्राम– पिंगाल, जिला–बालोद।

- प्लांट चालु होना चाहिये।

425. श्री जयशंकर, ग्राम–मरकामटोला, जिला–बालोद।

- प्लांट चालु होना चाहिये।

426. श्री सुभाष कुमार मण्डावी, ग्राम–धुरवाटोला, जिला–बालोद।

- प्लांट चालु होना चाहिये।

427. श्री संदीप कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

- हमारे आसपास जितेने भी प्लाण्ट है उससे प्रदूषण बहुत होता है। इस लिये प्लांट नहीं लगाना चाहिये। मै विरोध करता हूँ।

428. श्री टिलेश्वर कुमार कोठारी, ग्राम– गिधाली, जिला–बालोद।

- प्लांट बंद होना चाहिये।

429. श्री देवकुमार साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

- मै प्लांट खोलने के विरोध में हूँ।

430. श्री उसमान खान, ग्राम–बकलीटोला, जिला–बालोद।

- प्लांट चालु हो।

431. श्री गजेन्द्र कुमार कोठारी, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

- प्लांट बंद होना चाहिये।

432. श्री गोपीचंद भूआर्य, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

- प्लांट बंद होना चाहिये।

433. श्री उमेश कुमार साहू, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

- मैं कंपनी चलाने के पक्ष में हूँ। मेरा एक सवाल है, प्लाण्ट जब भी लगे सीएसआर का पूरा पालन किया जाये। बोर की जगह नहर नालों से पानी लेना चाहिये। जमीन का वाटर लेवल बढ़े ऐसा कार्य इनके द्वारा किया जाये। प्लाण्ट में बोर न चलाया जाये। भूमिगत जल का शोषण न हो तो मै समर्थन में हूँ। धन्यवाद।

434. श्री नीतेश कुमार, ग्राम–गिधाली, जिला–बालोद।

- 2006 से 2020 तक प्लांट केवल भूमिगत जल का शोषण करके चलाया जा रहा है, प्लाण्ट में भूमिगत जल का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, इसके उपाय किये जाये। भूमिगत जल का शोषण न हो तो मै समर्थन में हूँ।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बालोद तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बालोद द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई। पुनः अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बालोद द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसल्टेन्ट श्री राहुल भगत, श्री पराग कुशनाहरे द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। जो कि निम्नानुसार है :–

- प्लाण्ट से निकलने वाला लाल पानी खेतों में नही छोड़ा जायेगा। कारखाने में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पानी का पुर्नउपयोग किया जायेगा, इसके लिये वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट बनाया जायेगा।
- प्लांट का गंदा पानी खेतों में नहीं जाएगा, जिससे कृषि भूमि को कोई समस्या नहीं होगी।
- प्लांट में रोजगार के विषय में गांव के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- गांव के लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था की जायेगी।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 17 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 434 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 134 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बालोद द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए शाम 4.30 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला बालोद